



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की

मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद
के सेक्टर-6 में विभिन्न प्रकार के
252 नग स्व वित्त पोषित
सेमीफिनिशड भवनों को प्राप्त करने का
सुनहला अवसर



पंजीकरण
दि. 15.11.2021
से
15.12.2021
तक

भवनों का विवरण:-

UPRERAPRJ623188

Website: www.up-rera.in

क्रम संख्या	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार	सम्पत्ति की श्रेणी	सम्पत्ति की संख्या	प्लॉट क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	कवर्ड क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	अनुमानित मूल्य (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)	अवशेष धनराशि 8 तिमाही किश्तों में (रु. लाख में)
1	मण्डोला विहार योजना	35/60	अल्प आय वर्ग	60	60.59	35.94	22.35	2.27	2.51
2		36/75	अल्प आय वर्ग	76	75.00	35.93	25.90	2.62	2.91
3		66/112	मध्यम आय वर्ग	60	112.50	66.80	40.40	4.08	4.54
4		95/162	मध्यम आय वर्ग	56	162.00	95.53	57.85	5.85	6.50

नोट:-

- उक्त धनराशि के अतिरिक्त, भूमि मूल्य पर 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क अलग से देय होगा।
- भवन कार्जर होने की स्थिति में भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत कार्जर शुल्क अलग से देय होगा।
- नियमानुसार जी. एस.टी. व अन्य कर अलग से देय होगा।
- पंजीकरण धनराशि हेतु बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक "उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद" के नाम जो गाजियाबाद शहर में देय हो, के पक्ष में होना चाहिए।
- तालिका में दर्शायी गयी भवनों की संख्या संशोधित/परिवर्तित हो सकती है।

पंजीकरण पुस्तिका रु. 1000/- (जी.एस.टी. सहित) भुगतान कर सम्बन्धित बैंक की शाखा से प्राप्त की जा सकेगी एवं आवेदन-पत्र भर्कर (पंजीकरण धनराशि सहित) सम्बन्धित बैंक में जमा की जा सकती है।

पंजीकरण हेतु विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर उपलब्ध है

- पंजीकरण आवेदन के साथ सम्पत्ति के अनुमानित मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा तथा पात्रता ड्रा में सफल होने के पश्चात एवं बिक्री करार के निष्पादन उपरान्त शेष 90 प्रतिशत धनराशि 08 त्रैमासिक किश्तों में बिना ब्याज देय होगा।
- किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में अवशेष धनराशि पर दिनांक 01.04.2020 को SBI की प्रभावी ब्याज दर MCLR (7.95%) + 1% = 8.95% say 9.00% सामान्य ब्याज दर के साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की दर से देय होगा। आवंटित द्वारा समयानुसार भुगतान न करने पर परिषद द्वारा नियमानुसार पंजीकरण/आवंटन के निरस्तीकरण एवं कटौती की कार्यवाही की जायेगी।
- किसी विषय अथवा विवाद पर आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

ऑफलाइन/ऑनलाइन आवेदन हेतु सुविधा प्रदाता बैंक :
एच.डी.एफ.सी.- बैंक
4/5 ओम प्लाजा सेक्टर-15 सी,
वसुन्धरा, गाजियाबाद
संपर्क सूत्र :

श्री विपिन दुबे
मो. नं. 7520678486

विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें

ई. डी.वी. सिंह अधीक्षण अभियन्ता
बागपत मो. नं. 8795810036

सुश्री शेरी उप आवास आयुक्त
मेरठ जौन, मेरठ मो. नं. 8795810007

ई. फराज असलम अधिशासी अभियन्ता
नि.खं. बागपत-01 मो. नं.: 8795811694

ई. अतुल कुमार सिंह अधिशासी अभियन्ता
नि.खं. बागपत-02 मो. नं.: 9711206126

ई. अमन त्यागी अधिशासी अभियन्ता
नि.खं. बागपत-03 मो. नं.: 8795811683

श्री हेतम पाल सिंह सहायक आवास आयुक्त
गाजियाबाद मो. नं. 8795811049



उ.प्र. आवास विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
Website: <http://www.upavp.in>
E-mail: info@upavp.com



शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए

1800-180-5333 (टेल-फ्री) 0522-2236803

पर कॉल करें या परिषद की वेबसाइट पर लॉग इन करें।